

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-11/2020/902/तीस-4-2020
लखनऊ: दिनांक: 15 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम, 1988(अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (ग-क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची में दिये गये मार्ग पर मंजिली गाड़ी चलाने का निश्चय करती हैं :-

अनुसूची

क्रमांक	मार्ग का नाम	दूरी (कि०मी०)
1	लखनऊ-गोरखपुर वाया अयोध्या- विक्रमजोत-बस्ती मार्ग	278

आज्ञा से,

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या -11/2020/902(1)/तीस-4-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 15 सितम्बर, 2020 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड(क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या -11/2020/902(2)/तीस-4-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या -11/2020/ 902(3)/तीस-4-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
3. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.11/2020/902/XXX-4-2020, dated 15 September, 2020

Notification

No.11/2020/902/XXX-4-2020
Lucknow: Dated 15 September, 2020

In exercise of the powers conferred under clause (ca) of sub-section (3) of section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988), the Governor is pleased to formulate the routes given in the Schedule below for plying stage carriages:-

Schedule

Sl.No.	Name of Route	Distance (in Km.)
1	Lucknow-Gorakhpur via Ayodhya-Vikramjot-Basti Route	278

By Order,

(Rajesh Kumar Singh)
Principal Secretary.